आ० क्र०
81
15-7-202

①

मध्यप्रदेश

जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्यादित

जिला बुरहानपुर

(पंजीयन क्रमांक .... दिनांक ....)

उपविधियां

मुद्रक :
को-आपरेटिव्ह प्रेस लिमिटेड
भोपाल

प्रस्तावित उपविधियां

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्यादित

उपविधियां-क्र०-१

इस समिति का नाम जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्यादित होगा, जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट अंत्यावसायी को-आपरेटिव डेवलपमेंट सोसायटी, लिमिटेड बुरहानपुर कहा जावेगा जिसे इन उपविधियों में बाद में जिला समिति के नाम से जाना जावेगा।

उपविधि-क्र०-२

पता एवं कार्यक्षेत्र - इस समिति का पंजीकृत पता कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला बुरहानपुर म० प्र० होगा और इसका कार्यक्षेत्र जिले का सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र होगा।

उपविधि-क्र०-३

परिभाषाएं-निम्न शब्दों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा:-

"अधिनियम" एवं "नियम" से तात्पर्य क्रमश: म०प्र० सहकारी समितियां अधिनियम, १९६०, एवं म० प्र० सहकारी समितियां नियम, १९६२ से होगा।

"निगम" से तात्पर्य मध्यप्रदेश अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम, मर्यादित, भोपाल से होगा।

"मण्डल" से तात्पर्य इस जिला समिति के संचालक मण्डल से होगा।

"अन्य समितियां" से तात्पर्य सहकारी समितियां, जिनका गठन राज्य शासन द्वारा इस आशय के लिये अधिघोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ऐसे राज्य शासन द्वारा अधिघोषित अन्य आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिये किया गया हो। किन्तु प्रतिबन्ध है कि ऐसी समिति में किसी समय अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या ७० प्रतिशत से कम न हो।

"पंजीयक" से तात्पर्य, पंजीयक, सहकारी समितियां, मध्यप्रदेश से है।

"शासन" से तात्पर्य, मध्यप्रदेश शासन से है।

"सदस्य" से तात्पर्य, जिला समिति के अंशधारी से है।

"अनुसूचित जाति" से तात्पर्य भारतीय संविधान में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत घोषित अनुसूचित जाति से है।

"अनुसूचित जनजाति" से तात्पर्य भारतीय संविधान में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत घोषित अनुसूचित जनजाति से है।

"कमजोर वर्ग" से तात्पर्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को छोड़कर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निगम के उद्देश्यों के लिये अधिसूचित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से है।

(एस. के. ...)
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
एवं ...
...

कार्यपालन अधिकारी,
जिला अंत्यावसायी सह. विकास
समिति मर्या. ... (म०प्र०)

"वर्ष" से तात्पर्य सहकारी वर्ष से है जो 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होगा।

जिन शब्दों को यहां परिभाषित नहीं किया गया है उनका तात्पर्य वही होगा जो अधिनियम एवं नियमों में परिभाषित है।

उपविधि-क्र० ४

अपने उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिला समिति निगम एवं अन्य समितियों तथा संस्थाओं से संबद्ध होगी।

उपविधि-क्र०-५

उद्देश्य-(१) समिति का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों को यहां इसके बाद वर्णित रूपों में सहायता करना होगा जिसके लिये एकीकृत साख सुविधायें अन्य सेवाओं और सुविधाओं को उपलब्ध कराया जावेगा जिससे कि उन्हें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हों तथा उनका उत्पादन एवं आय बढ़ाई जा सके और इसके लिए उनके हित में उपभोक्ता सामग्री का वितरण तथा अन्य सहायक आर्थिक विकास के कार्यक्रम भी गठित किये जा सकते हैं।

(२) मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समिति निम्न कार्यों में से एक या अधिक कार्य स्वयं या किसी के सहयोग से या ऐसी अन्य एजेन्सियों के माध्यम से, जैसा निगम द्वारा अनुमोदित किया जाय, करेगी-

(१) सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कृषि, मत्स्य, दुग्ध पालन, पशु पालन, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा व्यापार एवं व्यवसाय आदि कार्यों में लगने वाली सामग्री को संग्रहीत करना, क्रय करना तथा प्रदाय करना।

(२) सदस्यों के कृषि, दुग्ध, पशु एवं मत्स्य तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों आदि सम्बन्धी उत्पादन को उनके अधिकतम लाभ के लिए सीधे या निगम या अन्य समितियों या अन्य एजेन्सियों के माध्यम से संग्रहीत करना, क्रय करना एवं विक्रय करना।

(३) निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई शर्तों पर योजनाओं कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं हेतु दिये गये कोषों में से सदस्यों के लिए ऋण स्वीकृत करना। किन्तु प्रतिबंध है कि ऐसी वित्तीय सहायता निगम के कोष से या जिला समिति के स्वयं के कोष से उन्हीं सदस्यों को दी जावेगी जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय ८०००.०० रुपये से अधिक न हो तथा जो केन्द्रीय एवं राज्य शासन या सार्वजनिक या व्यक्तिगत संस्था में पूर्णकालीन सेवा में न हों।

निगम के कोष से दी जाने वाली आर्थिक सहायता ऋण के रूप में होगी (ऐसी ब्याज दर पर दी जावेगी जो इस संबंध में निर्धारित की जावे) ऐसी आर्थिक सहायता जिसमें अन्य स्रोतों से सदस्यों को प्राप्त आर्थिक सहायता भी सम्मिलित होगी जो किसी भी स्थिति में ५०००.०० रुपये से अधिक नहीं होगी। कोई भी सदस्य एक समय में एक से अधिक ऋण का पात्र नहीं होगा।

(४) (अ) जिला समिति के सदस्यों में ऋण प्रदाय की व्यवस्था इस प्रकार की जावेगी कि किसी भी समय कुल वितरित ऋण अनुसूचित जाति के सदस्यों को कुल वितरित ऋण से ७० प्रतिशत से कम ऋण प्राप्त न हो।

(ब) इसी प्रकार किसी भी समय कुल सदस्य, जिनको ऋण प्रदाय किया गया हो, उनमें अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या ७० प्रतिशत से कम नहीं होगी।

उपविधि संशोधन

वर्तमान प्रावधान-

उपविधि क्रमांक 6 -II

''क'' वर्ग सदस्य - व्यक्ति इस वर्ग में कम से कम 70 % सदस्य अनुसूचित जाति और अधिकतम 30 % सदस्य अनुसूचित जनजाति कमजोर वर्ग के होंगे।

संशोधित लागू प्रावधान

उपविधि क्रमांक 6-II

''क'' वर्ग सदस्य - व्यक्तिगत इस वर्ग में शत प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति के होगें और अन्य जाति और वर्ग के सदस्य केवल नाम मात्र के ही सदस्य होगें जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति अनुसूचित जाति के सदस्यों को छोड़कर अन्य वर्ग के सदस्यों को नाम मात्र सदस्य बनाने के लिए विधिवत 45 दिन का नोटिस देकर उन्हें नाम मात्र सदस्य बनायें जाने की जानकारी देवें।नाम मात्र के सदस्यों को संस्था के प्रबंधन/चुनाव में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी परन्तु उन्हें दिये गये ऋण की वसूली नियमानुसार की जावेंगी।

[illegible] पंजीयक सहकारी संस्थायें जबलपुर के आदेश क्रमांक /विधि/97 /2461 दिनांक 14/8/97 द्वारा अनु - [illegible]त एवं पंजीकृत।

(एस. के. महन्त)
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
एवं ~~निर्वाचन अधिकारी~~
संचालक

[illegible]पालन अधिकारी,
जिला अन्त्यावसायी सहः विकास
समिति मर्या. [illegible] (म०प्र०)

(५) कृषि, दुग्ध और अन्य पशुपालन, कुटीर एवं लघु उद्योग के उत्पादन की प्रक्रिया इकाइयों को प्रवर्तित करना या स्वयं या किराये पर संचालित करना और सदस्यों द्वारा [illegible] या इससे संबंधित उद्देश्यों के लिए अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण की प्रत्याभूति देना किन्तु प्रतिबंध यह है कि जिला समिति ने ऐसी प्रत्याभूति देने के लिए निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो।

(६) कृषि मशीनरी, जैसे ट्रेक्टर, पावर टीलर, बुलडोजर, थ्रेशर और पंप सेटों आदि स्वयं या किराये पर लेकर कृषि संबन्धी सेवायें प्रदान करना।

(७) अपने सदस्यों को संग्रहण सुविधायें प्रदाय करने हेतु स्वयं या किराये पर गोदाम लेना।

(८) कृषि कार्य के लिए यथा आदर्श कृषि फार्म की स्थापना या आधुनिक कृषि तकनीकी के प्रदर्शन एवं विस्तार हेतु भूमि स्वयं क्रय करना या पट्टे पर या अन्य प्रकार से प्राप्त करना।

(९) अपने सदस्यों को सीजनल (मौसमी) रोजगार प्रदाय करने के उद्देश्य से सड़कों के निर्माण, कुओं की खुदाई, भवन का निर्माण एवं मरम्मत, तालाबों, नहरों, सिंचाई कार्यों और अन्य रोजगार प्रदाय कार्य शासन, स्थानीय निकाय या व्यक्तियों से अनुबंध निष्पादित कर उसे उनके या सदस्यों के सहयोग से कार्यान्वित करना।

(१०) निगम या अन्य एजेंसियों के सहयोग से कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग और छोटे धंधे या व्यापार आदि की योजनायें बनाना एवं इन कार्यों में संलग्न अपने सदस्यों को प्रशिक्षित करना।

(११) साहूकार एवं अन्य व्यक्तियों के अपने ऋणी सदस्यों को, इस दृष्टि से ऋण प्रदाय करना कि वे उनको ऋण वापस कर सकें।

(१२) सदस्यों में सामान्य बचत, आत्म निर्भरता और सहकारिता की भावना को बढ़ावा देना।

(१३) उपविधियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकतानुसार शाखाएं, विक्रय केन्द्रों, डिपो, प्रदर्शन कक्ष और वर्कशाप खोलना।

(१४) सदस्यों को स्व-रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना और बढ़ावा देना।

(१५) सदस्यों, सहकारी और व्यावसायिक अधिकोषों, वित्त संस्थाओं और शासन से अमानत और ऋण प्राप्त कर अपने कोष को बढ़ाना।

(१६) सामान्यत: ऐसे अन्य कार्यों को करना, जो सदस्यों को आर्थिक उत्थान एवं सामाजिक हितों में सहायक हों, तथा जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, और ऊपर वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

उपविधि-क्र.-६.

सदस्यता :- समिति की सदस्यता तीन प्रकार की होगी :-

(i) "अ" वर्ग सदस्य :— शासन

(ii) "ब" वर्ग सदस्य:- 1) व्यक्ति, इस वर्ग में कम से कम २० प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति और अधिकतम ३० प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के होंगे।

(एस. के. महन्त)
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
एवं ~~निर्वाचन अधिकारी~~

कार्यपालन अधिकारी,
जिला अंत्यावसायी सह. विकास
समिति मर्या. [illegible] (म०प्र०)

(२) अन्य सहकारी समितियां जो अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु गठित की गई हो।

(iii) "स" वर्ग सदस्य :—नाममात्र सदस्य।

(२) शासन नामांकित व्यक्ति के माध्यम से प्रतिनिधित्व करेगा और ऐसे नामांकन को परिवर्तित एवं वापस लेने के लिए वह सक्षम होगा। "अ" वर्ग सदस्यों के लिए सदस्यता हेतु आवेदन पत्र देना और प्रवेश शुल्क का भुगतान करना नहीं होगा।

(३) प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें "ब" वर्ग सदस्य की योग्यता हो, को सदस्यता हेतु आवेदन देना होगा, तथा कम से कम एक अंश क्रय कर, ५० पैसे प्रवेश शुल्क के जमा करना होगा।

(४) अधिनियम की धारा २० के अन्तर्गत नाममात्र का सदस्य बनाया जा सकेगा जो ५० पैसे प्रवेश शुल्क तथा १० रुपये अंशपूंजी भुगतान करेगा किंतु मत देने या संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होगा और न ही समिति की हानियों को चुकाने में उनका कोई दायित्व होगा या समिति के लाभ में ही उनका कोई अंश होगा।

उपविधि क्र.-७

सदस्य की योग्यतायें "ब" (१) वर्ग के सदस्य होने के लिए प्रत्येक में निम्न योग्यतायें होंगी-- "अ" वर्ग के सदस्य ऐसी योग्यताओं से मुक्त रहेंगे।

(१) वह वयस्क हो, पागल एवं दिवालिया न हो तथा अनुबंध करने के लिए सक्षम हो।

(२) "ब" (i) वर्ग का सदस्य वही व्यक्ति हो सकेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं कमजोर वर्गों का सदस्य हो। सदस्यों में ७०% अनुसूचित और ३० प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों का अनुपात होगा।

(३) व्यक्ति को जिले का निवासी होना चाहिए।

उपविधि क्र.-८

सदस्यता के लिए प्रवेश एवं पात्रता -(१) राज्य शासन को छोड़कर अन्य सदस्यता हेतु आवेदन पत्र समिति के कार्यपालन अधिकारी को देंगे, सदस्य होने के लिए कम से कम एक अंश क्रय करना होगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्यपालन अधिकारी उसे संचालक मंडल की आगामी बैठक में रखेगा। सदस्यता अस्वीकृत होने की दशा में आवेदक को ऐसे निर्णय के दिनांक से सात दिवस के भीतर अवगत कराया जावेगा, इस निर्णय के विरुद्ध अपील पंजीयक को होगी।

(२) कोई भी व्यक्ति सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह उपविधि ७ में वर्णित योग्यताओं को न रखता हो।

(३) "अ" वर्ग के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य मत देने का अधिकारी तब तक नहीं होगा जब तक कि उसका आवेदन पत्र संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत न किया गया हो और उसने कम से कम एक अंश क्रय कर उसका भुगतान न कर दिया हो।

(४) प्रवेश के बाद सदस्य का नाम पंजी में प्रविष्ट किया जावेगा।

(५) किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी, यदि वह कोई अयोग्यता धारित करता हो या उसे निष्कासित कर दिया गया हो।

(६) "ब" (ii) वर्ग के सदस्य अधिनियम एवं नियमों में वर्णित प्रावधान अनुसार प्रतिनिधित्व करेंगे।

(एल. के. महन्त)
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
एवं ~~निर्वाचन अधिकारी~~

[stamp] सह. विकास समिति ... निगम

~~कार्यपालन~~ अधिकारी,
जिला अन्त्यावसायी सह. विकास समिति मर्या. ... (म.प्र.)

उपविधि क्र. ९

"ब" वर्ग एवं "स" वर्ग के सदस्यों के लिए प्रवेश शुल्क पचास पैसा होगा । प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगा ।

उपविधि-क्र. १०.

सदस्यों का निष्कासन:—संचालक मंडल इस आशय के लिए आयोजित बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के ३/४ बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकेगा यदि वह—

(अ) समिति की साख को क्षति पहुचाने वाले किसी काम को जानबूझकर करता है, या उसे अप्रतिष्ठित करता है, या

(ब) झूठे कथनों द्वारा समिति को जानबूझकर धोखा देता है, या

(स) समिति द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय से संघर्ष उत्पन्न होने वाले या उत्पन्न होने की संभावना वाले किसी व्यवसाय को करता है, या

(द) अपनी देय धनराशि को भुगतान करने की निरन्तर पूर्वक त्रुटि करता अथवा उपविधियों के किन्हीं प्रावधानों को पालन करने में त्रुटि करता है ।

निष्कासन के ऐसे निर्णय के पूर्व सदस्य को सात दिवस का नोटिस दिया जायेगा ।

(इ) इस समिति में सदस्य, समिति का प्रतिनिधित्व समाप्त हो जावेगा, यदि वह नियम ४५ में वर्णित अयोग्यताओं को रखती हों ।

उपविधि क्र. ११

उत्तराधिकारी का नामांकन:--अधिनियम की धारा २६ (१) के अधीन अंश या हित के अन्तरण के प्रयोजनों के लिए समिति का सदस्य ऐसे व्यक्ति का नामांकन कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु हो जाने पर अंश या हित अंतरित किए जा सकें । ऐसे सदस्य समय-समय पर ऐसे नामांकन को परिवर्तित कर सकता है । नामांकन पत्र लिखित में दो साक्षियों के समक्ष होगा ।

उपविधि क्र. १२

सदस्य का हट जाना तथा अंशों की वापसी :-(१) अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुए कोई भी सदस्य इस समिति को ३ माह की पूर्व सूचना देने के उपरान्त तथा संचालक मंडल की स्वीकृति से, समिति की सदस्यता से हट सकता है और अंश या अंशों की मांग कर सकता है, यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल ऋणों या प्रतिभू के रूप में समिति का कर्जदार न हो ।

(२) सदस्यता से ऐसे हट जाने की मांग तब तक नहीं की जावेगी, जब तक कि उसे सदस्यता प्राप्त किये एक वर्ष व्यतीत न हो गया हो ।

(३) सदस्यता से हट जाने के दिनांक से एक वर्ष पश्चात अंश या हितों की वापसी होगी ।

(४) किसी भी सहकारी वर्ष में अंशपूंजी की वापसी पूर्ववर्ती वर्ष ३१ मार्च को समिति की प्रदत्त अंशपूंजी के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । यह प्रतिबन्ध शासन पर लागू नहीं होगा ।

(एस. के. महन्त)
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
एवं ...

उपपंजीयक/अधिकारी,
जिला ... सह. विभाग
...

उपविधि क्र०-१३

अंश पूंजी-(१) जिला समिति की अधिकृत अंशपूंजी १०,०० लाख रुपये होगी जो १०० रुपये के १००० अंशों में, जो शासन को आवंटित किये जावेंगे तथा शेष एक लाख रुपये १०रुपये के १०,००० अंशों में विभक्त होगी, जिसे "ख" (१) और (२) सदस्यों को दिया जावेगा। "ख" वर्ग के सदस्य अंश पूंजी के रूप में १० रुपये जमा करेंगे जो अधिकृत अंशपूंजी का भाग नहीं होगी।

(२) कोई भी "ब" (१) वर्ग का सदस्य संपूर्ण अंश पूंजी के १/५ से अधिक धारण नहीं कर सकेगा या समिति के पांच हजार रुपये से अधिक की धनराशि के अंशों में कोई हित नहीं रखेगा या दावा नहीं करेगा ऐसा प्रतिबन्ध शासन पर लागू नहीं होगा।

(३) शासन ऐसी शर्तों पर जैसा वह उचित समझे, समिति के अंश क्रय कर सकता है।

(४) सदस्य के समिति में अंश या हित का अन्तरण तब तक बैध नहीं होगा, जब तक कि उस धारण किये एक वर्ष व्यतीत न हो गया हो, और अन्य सदस्य को अन्तरित न किया हो तथा संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत न किया गया हो। इस आशय का आवेदन पत्र कार्यपालन अधिकारी को दिया जावेगा।

(५) समिति अंशों की पंजी रखेगी और अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिस पर कार्यपालन अधिकारी हस्ताक्षर कर, समिति की मुद्रा अंकित करेगा।

उपविधि-क्र०-१४

सदस्यों का दायित्व-सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा अभिदत्त अंशों की राशि तक सीमित होगा।

उपविधि-क्र०-१५

उधार ग्रहण:-(१) संचालक मण्डल उन शर्तों एवं आधार पर जिसे वह योग्य समझे, अमानतों के अतिरिक्त, सदस्यों या वित्तीय संस्थाओं, या शासन, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं, व्यवसायी एवं सहकारी अधिकोषों आदि से ऋण प्राप्त करने के लिए सक्षम होगा।

(२) समिति की अधिकतम ऋण प्राप्ति सीमा उसके कुल जमा प्रदत्त अंशपूंजी तथा स्वयं के कोष के १२ गुने तक सीमित होगी। पंजीयक इस सीमा को बढ़ा सकता है। इसमें माल के तारण पर लिया गया ऋण सम्मिलित नहीं होगा।

उपविधियां-क्र०-१६

कोष (पूंजी)-(१) समिति कोष निम्न सभी या किसी श्रोत से प्राप्त करेगी-

(अ) अंश पूंजी,

(ब) प्रवेश एवं अन्य शुल्क,

(स) सदस्यों से अमानतें,

(द) ऋण,

(य) राज्य और केन्द्रीय शासन से सहायता/अनुदान प्राप्त कर,

(र) पंजीयक की पूर्व अनुमति प्राप्त कर, अन्य श्रोतों से।

(२) पूंजी का विनियोजन अधिनियम एवं नियमों में वर्णित किसी भी प्रकार से किया जावेगा।

उपविधि संशोधन

वर्तमान प्रावधान

उपविधि क्र. 18(1):-

समिति की साधारण सभा सर्वोपरि होगी जिसमें अंतिम अधिकार वेष्ठित होने तथा जिसमें निम्न सदस्य सम्मलित होंगें -

अ- वर्ग सदस्य शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति

ब-वर्ग सदस्य व्यक्तिगत सदस्य

2. अन्य सहकारी समितियाँ।

अ- जिला अन्त्यावसायी समिति जिसकी सदस्य संख्या 10 हजार अथवा उससे कम।

ब- जिला अन्त्यावसायी समिति जिसकी सदस्या संख्या 10 हजार से अधिक किन्तु 15 हजार तक या उससे कम।

जिला अन्त्यावसायी समिति जिसकी सदस्य संख्या 15 हजार से अधिक।

संशोधित लागू प्रावधान

1 उपविधि क्रमांक 18 (1)

जिला अन्त्यावसायी समिति की साधारण सभा सर्वोपरि होगी जिसमें अंतिम अधिकार वेष्ठित होगे। साधारण सभा के समस्त कार्य निष्पादन के लिए एक छोटी साधारण सभा का गठन निर्वाचित प्रत्यायुक्तों द्वारा किया जावेगा जो साधारण सभा के नाम से जानी जावेगीजिसमेंनिम्न सदस्य सम्मलित होगें।

अ- वर्ग सदस्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य (धारा 23(2)के अंतर्गत)

ब-वर्ग सदस्य - 1. व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रत्यायुक्त
2. अन्य सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि

18(1) अ- प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन के लिए संचालक मण्डल जिला अन्त्यावासी समिति की सदस्यता के आधार पर छोटे - छोटे निर्वाचन समूहों का निर्धारण करेगा जो निम्नानुसार है। समिति की सदस्य संख्या प्रत्यायपुक्तों के निर्वाचन मानदंड

अ- प्रत्येक 25 से 50 सदस्यों पर एक प्रत्यायुक्त न्यूनतम 100अधिकतम 200

ब- प्रत्येक 50 से 75 सदस्यों पर एक प्रत्यायुक्त न्यूनतम 100 अधिकतम 200

स- प्रत्येक 100 सदस्यों पर एक प्रत्यायुक्त न्यूनतम 150 अधिकतम 300

18(1)ब- जिला अन्त्यावसायी समिति से प्राप्त सदस्यता सूची जो प्रत्यायुक्तों के चुनाव से कम से कम 45 दिन पूर्व की स्थिति का हो, पंजीयक द्वारानियुक्त निर्वाचन अधिकारी उपरोक्त मानदंडों के अनुसार प्रत्यायुक्तों कानिर्वाचन संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन से 90 दिन पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड मुख्यालय पर और शहरी क्षेत्र में वार्ड अनुसार शहर मुख्यालय पर करायेगा।इसके लिए निर्वाचन अधिकारी अवश्यकतानुसार सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकेंगा। प्रत्यायुक्त का कार्यकाल संचालक मण्डल के कार्य काल के समरुप होगा।

टीप :- उपपंजीयक सहकारी संस्थायें जबलपुर के आदेश क्रमांक /विध/[illegible]/461 दिनांक 14/8/97 द्वारा अनु - मोदित एवं पंजीकृत।

(एस. के. [illegible])
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक

[illegible] अधिकारी,
[illegible] सहकारी विकास
[illegible] मर्या. जबलपुर (म०प्र०)

उपविधि क्र.-१७

अमानतें-(१) सदस्यों से अमानतें ऐसी शर्तों पर प्राप्त की जावेगी जो संचालक मंडल तय करे।
(२) पंजीयक की स्वीकृति प्राप्त कर गैर सदस्यों से अमानतें प्राप्त की जा सकेगी।

उपविधि क्र.-१८

साधारण सभा—(१) समिति की साधारण सभा सर्वोपरि होगी, जिसमें अंतिम अधिकार निहित होंगे तथा जिसमें निम्न सदस्य सम्मिलित होंगे :-

(१) "अ" वर्ग सदस्य ... ... शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति।
(२) "ब" वर्ग सदस्य ... ... (१) व्यक्तिगत सदस्य।
(२) अन्य सहकारी समितियां।

(२) संचालक मंडल सदस्यों की सूची उनके पूर्ण पते के साथ रखेगा और ऐसी सूची को प्रत्येक साधारण सभा की बैठक के ३० दिन पूर्व की तिथि तक पूर्ण करेगा। सूची में वर्णित सदस्यों को ही ऐसी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

(३) साधारण सभा की गणपूर्ति "ब" वर्ग के कुल सदस्य संख्या के १/४ या २५ जो भी कम हो, रहेगी।

उपविधि क्र०-१९

अध्यक्ष—जिलाध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होगा जो समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस हेतु निर्वाचित सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जावेगी।

उपविधि क्र०-२०

साधारण सभा की बैठकें:—(१) कार्यपालन अधिकारी वर्ष में कम से कम एक बार साधारण सभा की बैठक बुलायेगा। इस बैठक को वार्षिक साधारण सभा की बैठक कहा जावेगा। कार्यपालन अधिकारी किसी भी समय स्वयं प्रेरणा से या संचालक मण्डल के बहुमत द्वारा निर्देश करने पर या २० सदस्य या कुल सदस्य संख्या के १/१० सदस्यों, इनमें से जो भी कम हो, के आवेदन करने पर बुला सकेगा जिसे विशेष साधारण सभा कहा जावेगा। ऐसी विशेष साधारण सभा की बैठक में वार्षिक साधारण सभा के सभी या कोई कार्य सम्मिलित होंगे।

(२) वार्षिक साधारण सभा की बैठक की सूचना सभा बैठक के स्थान, समय एवं दिनांक के वर्णित कर प्रत्येक सदस्य का बैठक के दिनांक से स्पष्ट १५ दिवस पूर्व डाक प्रमाण के अन्तर्गत साधारण डाक द्वारा दिये गये पते पर डाक द्वारा दी जावेगी। जिसके संलग्न बैठक का कार्यक्रम भेजा जावेगा और विशेष साधारण सभा की बैठक की सूचना बैठक दिनांक से ७ दिवस पूर्व दी जावेगी। सूचना पत्र की तामीली में किसी प्रकार की अनियमितता आदि हो जाने की स्थिति में साधारण सभा की बैठक अवैधानिक नहीं होगी और न ही उसकी कार्यवाही को अवैध माना जावेगा।

(३) गणपूर्ति के अभाव में, वार्षिक साधारण सभा की बैठक, यदि सूचना पत्र में अन्यथा वर्णित न हो तो सभा अध्यक्ष द्वारा घोषित किए गए ऐसे दिनांक, समय एवं स्थान के लिए स्थगित कर दी जावेगी। स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। गणपूर्ति के अभाव में विशेष साधारण सभा स्थगित नहीं की जाकर भंग कर दी जावेगी। मूल बैठक का कार्यक्रम ही स्थगित बैठक का कार्यक्रम होगा।

उपविधि-क्र०-२१

(१) साधारण सभा में उपस्थित प्रत्येक सदस्य केवल एक ही मत देगा। प्रतिपत्री मान्य नहीं होगी। जब तक कि अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों में अन्यथा अपेक्षित न हो साधारण सभा के समस्त प्रस्ताव जो कि मतदान के लिये रखे गये हों, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किये जावेंगे तथा मतदान हाथ उठाकर किया जावेगा। मतों की गणना के सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

(२) मतों के समान होने की दशा में अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, जिसका उपयोग निर्वाचन की स्थिति में नहीं किया जावेगा वरन चिट डालकर निर्णय किया जावेगा।

उपविधि क्र०--२२

कार्यवाही विवरण—बैठक की कार्यवाही का विवरण एक पंजी में लेखाबद्ध किया जावेगा, जिस पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जावेंगे।

उपविधि क्र०—२३

साधारण सभा के कार्य—वार्षिक साधारण सभा के निम्न कार्य होंगे :—

(१) समिति के भावी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को अनुमोदित करना।
(२) अंकेक्षण पालन प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट और पत्रकों यथा आय-व्यय, हानि-लाभ तथा लेन-देन पत्रक आदि को अनुमोदित करना।
(३) अन्य संस्थाओं में समिति का प्रतिनिधित्व करने हेतु, यदि कोई हो, तो प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना।
(४) वार्षिक अनुमानित बजट का अनुमोदन।
(५) उपविधियों में संशोधन करना।
(६) 'ब' वर्ग के सदस्यों में से चार संचालकों का निर्वाचन करना (जिनमें केवल संबंधित 'ब' वर्ग के सदस्य ही मत देने के पात्र होंगे) और जिनमें एक सदस्य अन्य समितियों के प्रतिनिधियों में से उनके द्वारा निर्वाचित भी सम्मिलित होगा।
(७) शुद्ध लाभ का निराकरण कर अनुमोदित करना।
(८) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।

उपविधि क्र०—२४

संचालक मण्डल—(१) समिति का प्रबन्ध संचालक मंडल साधारण सभा द्वारा समय-समय पर अधिकृत एवं उपविधियों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर उन्हें कार्यान्वित करने हेतु कार्यपालन अंग होगा।

(२) संचालक मंडल में अध्यक्ष सहित निम्नानुसार १४ सदस्य सम्मिलित होंगे:-

(१) जिलाध्यक्ष ... ... --- पदेन अध्यक्ष
(२) जिले का सहायक पंजीयक/उपपंजीयक सहकारी समितियां। पदेन सदस्य

(एस. के. मण्डल)
सहकारी निरीक्षक

उपविधि संशोधन क्र. 24

वर्तमान प्रावधान

1. उपविधि क्रमांक 24 - संचालक मण्डल

1. समिति का प्रबंधक संचालक मण्डल साधारण सभा द्वारा समय-समय पर अधिकृत एवं उपविधियों के अन्तर्गत प्रदत अधिकारों का उपयोग कर उन्हें कार्यान्वित करने हेतु कार्यपालन अधिकारी होगा।

2. संचालक मण्डल अध्यक्ष सहित निम्नानुसार 14 सदस्य सम्मिलित होगें।

1. जिलाध्यक्ष	पदेन अध्यक्ष
2. जिले का सहायक पंजीयक	पदेन सदस्य
3. उपसंचालक कृषि	पदेन सदस्य
4. सहायक संचालक उद्योग	पदेन सदस्य
5. निगम का प्रतिनिधि	पदेन सदस्य

6. एक जनपद पंचायत अध्यक्ष नामांकित सदस्य या सदस्य जो अनुसूचित जाति का रहेगा जिला अध्यक्ष द्वारा नामांकित सदस्य

7. एक प्रतिष्ठित पंचायत अध्यक्ष या सदस्य जो अनुसूचित जाति का होगा जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित सदस्य

8. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान सभा क्षेत्र का विधायक जिसके न होने पर अनुसूचित जनजाति का विधायक नामांकित सदस्य या आरक्षित क्षेत्र न होने की स्थिति में जिले का कोई एक विधायक जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित

9 से 12 निर्वाचित संचालक जिसमें एक सदस्य समितियों [illegible] उनके द्वारा निर्वाचित संचालक भी सम्मलित होगा [illegible] सदस्य

[illegible] अधिकारी आदिम जाति हरिजन कल्याण विभाग [illegible]

14. [illegible] कार्यपालन अधिकारी पदेन सदस्य

([illegible] स्थिति में जबकि कार्यपालन अधिकारी आदिम [illegible] कल्याण विभाग जिला अधिकारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति हो)

संशोधित लागू प्रावधान

उपविधि क्रमांक 24 संचालक मण्डल

1. जिला अंत्यावसायी समिति का संचालक मण्डल ऐसी शक्तियों का उपयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो सहकारी अधिनियम एवं नियमों अथवा उपविधियों द्वारा उसेप्रदत्य की गई हो।

2. संचालकमंडल में निम्नलिखित सदस्य होगें

अ- अध्यक्ष कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होगा।

ब-निर्वाचित संचालक -

ब-वर्ग सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रत्यायुक्त अपने में से 9 संचालकों का निर्वाचन करेगें, अन्य सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने में से दो संचालकों का निर्वाचन करेगें।

उपरोक्त 11 निर्वाचित संचालकों में से 2 पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा।

स- पदेन संचालक -

1. जिले का सहायक/उपपंजीयक सहकारी सोसायटी
2. सम्भागीय कार्यपालन अधिकारी निगम का प्रतिनिधि
3. उपसंचालक कृषि
4. सहायक संचालक उद्योग

24(2) में उल्लेखित संचालकों के निर्वाचन हेतु -

1. जिले के विकास खंडों की संख्या 9 या 9 से अधिक होने पर 9 निर्वाचन होगें तथा
2. अन्य मामलों में प्रत्येक विकास खंड में एक निर्वाचन क्षेत्र होगा जिला अन्त्यावसायी के 9 संचालकों का निर्वाचन समूहवार होगा।
3. उपरोक्तानुसार गठित समूह 9 से कम होने पर समूहवार निर्वाचन होने वाले 9 संचालकों की संख्या विभिन्न समूहों में से इस प्रकार विभाजित की जावेगी कि जिस समूह में प्रत्यायुक्तों की संख्या अधिक हो उससे निर्वाचित होने वाले संचालकों की संख्या कम प्रत्यायुक्तों की संख्या वाले समूह से अधिक रहें। जिले में विकास खंडों की संख्या 9 होने पर प्रत्येक समूह से एक-एक संचालक निर्वाचित होगा। जिले में विकास खंडों की संख्या 9 से अधिक होने पर एक से अधिक विकास खंडों का समूह बनाते समय यह ध्यान में रखा जावे कि कम प्रत्यायुक्त संख्या समीपस्थ विकास खंडों को मिलाकर समूहों का गठन पहले किया जावें।
4. दो संचालकों का निर्वाचन सदस्य सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के समूह में से किया जावेगा।
5. प्रत्यायुक्तों तथा प्रतिनिधियों एवं संचालक मंडल के सदस्यों के लिए योग्यतायें तथा निरर्हतायें वे ही होंगी जो समय-समय पर मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित कि गई हो।

टीप :- उपपंजीयक सहकारी संस्थायें जबलपुर के आदेश क्रमांक [illegible] 2481 दिनांक 14/8/97 द्वारा अनुमोदित एवं पंजीकृत।

(एस. के. [illegible])
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
एवं [illegible]

कार्यपालन अधिकारी,
[illegible] विकास
[illegible] (म०प्र०)
[illegible]

(३) उप संचालक, कृषि	पदेन	सदस्य
(४) सहायक संचालक-उद्योग	"	सदस्य
(५) निगम का प्रतिनिधि	"	सदस्य
(६) एक जनपद पंचायत अध्यक्ष या सदस्य, जो अनुसूचित जाति का होगा (जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित)।	नामांकित	"
(७) एक प्रतिष्ठित सहकारी या सामाजिक कार्यकर्ता (जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित)।	नामांकित	"
(८) अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान सभा क्षेत्र का विधायक, जिसके न होने पर अनुसूचित जनजाति का विधायक या आरक्षित क्षेत्र का न होने की स्थिति में जिले का कोई एक विधायक (जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित)।	नामांकित	"
(९) से (१२) निर्वाचित संचालक-४ (जिसमें से एक सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों में से उनके द्वारा निर्वाचित संचालक भी सम्मिलित होगा।	निर्वाचित	"
(१३) जिला अधिकारी आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग।	पदेन	"
(१४) कार्यपालन अधिकारी (केवल उस स्थिति में जबकि कार्यपालन अधिकारी, आदिम जाति एवं कल्याण विभाग के जिला अधिकारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति हो)।	"	"

जिला अधिकारी आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण, विभाग ही यदि कार्यपालन अधिकारी का कार्य भी संपादित करेगा तो ऐसी स्थिति में संचालक मंडल की सदस्य संख्या १४के स्थान पर१३ रहेगी।

(३) संचालक मंडल का कार्यकाल ५ वर्षों का होगा।

(४) संचालक मण्डल में 'ब' वर्ग के निर्वाचित सदस्यों में से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति 'ब' वर्ग से अगली साधारण सभा तक के लिए, सहयोजन द्वारा करेगा। संचालक मंडल में रिक्त हुए स्थान के कारण उसकी कार्यवाही अवैध नहीं मानी जायेगी।

(५) जिलाध्यक्ष, संचालक मण्डल का अध्यक्ष होगा और बैठकों की अध्यक्षता करेगा, उसकी अनुपस्थिति में उस बैठक में उपस्थित संचालकों द्वारा अपने में से इस हेतु निर्वाचित संचालक द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जावेगी।

(६) कोई भी संचालक, अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्यागपत्र मण्डल द्वारा स्वीकार न कर लिया गया हो।

उपविधि क्र० २९:

संचालक के लिए अयोग्यतायें-(१)संचालक पद हेतु 'ब' वर्ग का कोई भी सदस्य निर्वाचन का पात्र न होगा यदि वह निर्वाचन दिनांक से पूर्व १ वर्ष से अधिक अवधि का, इस समिति का बकायेदार हो।

(एस. के. ...)
उप/सचिव सहकारी निरीक्षक
एवं ...

कार्यपालन अधिकारी,
जिला ... सह. विकास
समिति मर्या. ... (म०प्र०)

(२) निर्वाचित सदस्य अपने पद पर न रह सकेगा यदि वह :—

(अ) यदि उसकी या वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, की सदस्यता समाप्त हो गई हो

(ब) यदि वह बिना पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण जिससे बताये मण्डल संतुष्ट हो, संचालक मंडल की लगातार ३ बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

(स) यदि वह या वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, १२ माह से अधिक का बकायेदार हो जावे।

(३) यदि निर्वाचित संचालक, मंडल की दृष्टि में, कोई ऐसा कार्य या भूल करता है या समिति के हितों के विपरीत जाने वाला व्यापार करता है, तो उसे सुने जाने का समुचित अवसर देकर इस हेतु बुलाई गई बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले संचालकों के साधारण बहुमत द्वारा संचालक मंडल से निष्कासित किया जावेगा।

उपविधि क्र. २६

उपविधि क्रमांक २४, २५ एवं अन्यत्र में चाहे कुछ भी वर्णित क्यों न हों, प्रथम संचालक मंडल का गठन, अध्यक्ष सहित शासन द्वारा मनोनीत किया जावेगा, जो ५ वर्ष तक कार्य करेगा। शासन इस अवधि में वृद्धि कर सकेगा। शासन को यह भी अधिकार होगा कि वह संचालक के मनोनीत किसी भी सदस्य को, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित होगा, के मनोनय को निरस्त कर सकेगा एवं उसके / उनके स्थान पर बिना कारण बताये किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को मनोनीत कर सकेगा। प्रथम संचालक मंडल में किसी-किसी रिक्त स्थान की पूर्ति भी शेष अवधि के लिए शासन द्वारा की जावेगी।

उपविधि क्र. २७

(१) कार्यपालन अधिकारी को दो माह में कम से कम एक बार और जब भी आवश्यकता हो संचालक मंडल की बैठक बुलायेगा।

(२) बैठक की सूचना जिसमें दिनांक, समय एवं स्थान का वर्णन होगा, प्रत्येक संचालक को डाक प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत साधारण डाक द्वारा उसके द्वारा दिए गए पते पर बैठक के दिनांक से स्पष्ट सात दिन पूर्व दी जावेगी। जिसमें बैठक में विचार दिए जाने वाले विषयों की सूची भी सम्मिलित होगी।

(३) अध्यक्ष एवं कार्यपालन अधिकारी सहित गणपूर्ति ५ होगी। यदि बैठक के लिए निर्धारित समय के आधा घंटे तक गणपूर्ति नहीं होती है और कार्यवाही सूची में अन्यथा वर्णित न हो तो अध्यक्ष द्वारा घोषित किए ऐसे समय, दिनांक एवं स्थान के लिए बैठक स्थगित कर दी जायेगी। स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी और उसके वही विषय होंगे जो मूल बैठक के थे।

(४) प्रत्येक संचालक एक मत देगा, परन्तु कोई भी संचालक उस विषय में मत नहीं देगा जिसमें उसके व्यक्तिगत हित हो या वह एक पक्षकार हों।

(५) प्रस्ताव बहुमत से उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर पारित किए जावेंगे। समान मतों की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, और उसका निर्णय मत दिए जाने के सम्बन्ध में अन्तिम होगा।

(६) कोई भी आवश्यक विषय पर भी जो कार्य सूची में सम्मिलित न हो अध्यक्ष की अनुमति पर से विचार किया जा सकेगा।

(एस. के. मेहता)

कार्यपालन अधिकारी

(15)

उपविधि क्र० २८.

निगम के निर्देशों के अन्तर्गत रहते हुए, साधारण सभा द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अतिरिक्त संचालक मण्डल के निम्न अधिकार एवं दायित्व होंगे--

(१) समिति के अधिकतम हित को दृष्टिगत रख व्यापार का संचालन करना।

(२) सदस्यों को प्रवेश देना एवं निष्कासित करना।

(३) समिति के व्यापार संचालन के लिए आवश्यक खर्चों को स्वयं करना एवं अधिकृत करना

(४) सेवा भर्ती नियम बना कर, उसे निगम से अनुमोदन प्राप्त करना।

(५) कर्मचारियों एवं संचालकों के लिये यात्रा एवं दैनिक भत्ता नियम बनाना तथा उस पर निगम का अनुमोदन प्राप्त करना।

(६) कार्यपालन अधिकारी द्वारा की गई कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तर एवं दिये गये दण्ड का अनुमोदन करना।

(७) कर्मचारियों के हित के लिये भविष्य निधि कोष एवं अन्य कोष स्थापित करना एवं उन्हें रखना।

(८) विभिन्न विषयों हेतु परामर्शदात्री कमेटी की नियुक्ति करना।

(९) वार्षिक साधारण सभा के अनुमोदन के लिए सालाना पत्रक तैयार करवाना।

(१०) भविष्य की योजनायें, वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक बजट, लाभ विभाजन, और निरीक्षक एवं अंकेक्षण का पालन प्रतिवेदन तैयार करना तथा इनका साधारण सभा से अनुमोदन प्राप्त करना।

(११) अंशों का अन्तरण एवं समायोजन अनुमोदित करना।

(१२) अन्य संस्थाओं के अंश क्रय करना।

(१३) अपने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

(१४) उन तरीकों एवं शर्तों पर जो निर्धारित की जावे, समिति के उद्देश्यों एवं कार्यों की पूर्ति क लिए निगम से परामर्श कर आवश्यक पूंजी जुटाना।

(१५) निगम के परामर्श से उन शर्तों एवं आधारों पर सदस्यों को ऋण एवं अग्रिम प्रदाय करना, जो समय समय पर निर्धारित किये गये हैं।

(१६) समिति के कोषों को विनियोजित करने की स्वीकृति देना तथा सदस्यों पर बकाया ऋण के भुगतान हेतु समयावधि में वृद्धि स्वीकार करना।

(१७) समिति के कार्यालय या व्यापार के लिए भवन स्वय बनाना या किराये पर भवनों आदि को लेने के लिये शर्तें तय करना।

(१८) कृषि, कुटीर एवं लघु उद्योगों तथा अन्य घरेलू आवश्यक वस्तुओं के क्रय एवं वितरण की व्यवस्था करना।

(१९) कृषि उपकरण और मशीनरी आदि स्वयं या किराये पर लेकर कृषि सेवा संबंधी कार्य तथा कृषि उत्पादनों की प्रक्रिया आदि संगठित करना।

(२०) सदस्यों के कृषि उत्पादन या कुटीर एवं लघु उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को स्वयं सीधे या निगम या अन्य समितियों के माध्यम से विक्रय करने के लिए एकत्रित करना और उनके यातायात की व्यवस्था करना।

(२१) समिति द्वारा दिये गये ऋण का सही उपयोग हो इस हेतु कारगर रूप से पर्यवेक्षण करना और जब जहां आवश्यकता हो योग्य क्षेत्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति कर सदस्यों को परामर्शदात्री सेवायें उपलब्ध करना।

(२२) सदस्यों को प्रशिक्षण के लिये चयन करना, और उनके लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जो उनके व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार के अनुकूल हों।

(२३) वसूली के लिए बकाया के प्रकरणों की समय-समय पर जांच कर उनकी वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही करना।

(२४) समिति के संचालक मंडल में निगम के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित व्यक्ति को स्वीकार करना और निगम द्वारा मांगे जाने वाले लेखाओं आदि को प्रस्तुत करना।

(२५) कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग इन पर आधारित विकासात्मक कार्यक्रमों, तथा अन्य आर्थिक कार्यक्रमों को तैयार करने की व्यवस्था करना और इन्हें क्रियान्वित करवाना।

(२६) अध्यक्ष एवं कार्यपालन अधिकारी को अधिकारों का सौंपना।

(२७) इन उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वे सभी कार्य करना, जो आवश्यक हों।

उपविधि क्र० २६

समय-समय पर संचालक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अन्तर्गत रहते हुए, निम्न अधिकारियों को नीचे दिये गये अधिकार होंगे:—

(१) अध्यक्ष:- (i) साधारण सभा एवं संचालक मण्डल की अध्यक्षता के अलावा अध्यक्ष का समिति के सभी अधिकारियों एवं उनके निष्पादन एवं कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रहेगा।

(ii) अध्यक्ष मंडल के किसी संचालक या इस समिति के किसी अधिकारी को किन्हीं शक्तियों के उपयोग हेतु अधिकृत कर सकेगा और उन्हें विशिष्ट कार्य को आवंटित कर सकेगा।

(२) कार्यपालन अधिकारी:- आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग का जिलाधिकारी इस समिति का कार्यपालन अधिकारी होगा या जहां आवश्यकता हो वहां शासन द्वारा पूर्णकालीन कार्यपालन अधिकारी आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग के किसी भी संवर्ग के अधिकारी में से नियुक्त किया जावेगा। कार्यपालन अधिकारी संचालक मण्डल का सदस्य होगा और समिति के दैनिक व्यापार कार्य आदि के लिये वह प्रशासनिक एवं कार्यपालक प्रमुख होगा। संचालक मंडल निगम के अनुमोदन से कार्यपालन अधिकारी का पारिश्रमिक तय करेगा, जो वेतन या अन्य रूप में होगा।

अपने कर्तव्यों के सफलता पूर्वक संपादन हेतु कार्यपालन अधिकारी निम्न अधिकारों का उपयोग करेगा:—

(२) समिति के व्यापार एवं प्रशासन पर उसका सामान्य नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण होगा।

(एस. के. महन्त)
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
एवं [illegible]

[illegible]

कार्यपालन अधिकारी
[illegible]
समिति मर्या

(२) संचालक मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत तथा उसके अनुमोदन से समिति के कर्मचारियों की नियुक्त करना उनका स्थानान्तर करना एवं दंडित करना और उनसे जमानत प्राप्त करना एवं उनके कर्तव्य तय करना।

(३) सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र जारी करना।

(४) अन्य समितियों में समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित सदस्यों के नाम भेजना।

(५) समिति की ओर से सभी पत्र व्यवहार आदि करना।

(६) वह समिति की ओर से वाद, प्रतिवाद प्रस्तुत करने वाला अधिकारी होगा। और समिति की ओर से समस्त वचपत्र, समायोजन तथा अनुबंध, उसके नाम में होंगे।

(७) वह समिति की ओर से नगदी, धनादेश, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिभूतियां आदि प्राप्त और समिति की ओर से समस्त भुगतान तथा नगदी, दोष व अन्य संपत्तियों की सुरक्षा करेगा या व्यवस्था करेगा।

(८) समिति की ओर से प्रतिज्ञा पत्रों, मानकीय और अन्य प्रतिभूतियों, चेक आदि को पृष्ठांकित और हस्ताक्षरित करेगा या करायेगा। संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमा में रहते हुए वह समिति के किसी बैंक में खोले गये खाते से लेन-देन करेगा, या व्यवस्था करेगा।

(९) समिति के हित में अत्यावश्यक प्रकृति के किसी कार्य लिए वह २००/-तक आकस्मिक व्यय कर सकेगा और संचालक मण्डल को आगामी बैठक में सूचित करना।

(१०) वह संचालक मंडल की ओर से उसकी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भविष्य की योजना, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बजट लाभ विभाजन प्रतिवेदन और सालाना पत्रक तैयार करना।

(११) अंकेक्षण एवं निरीक्षण का पालन प्रतिवेदन तैयार करना और संचालक मंडल के समक्ष रखना।

(१२) समिति के व्यापार संचालन के लिये सभी पत्रों एवं दस्तावेजों पर, समिति की ओर से हस्ताक्षर करना।

(१३) कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करना।

(१४) संचालक मंडल के सीधे नियंत्रण में रहते हुए समिति के सफल व्यापार एवं कार्य के लिए सभी कर्तव्यों एवं अधिकारों का उपयोग करना जो इस हेतु आवश्यक हो।

(१५) समिति के गोदाम में या अन्य उपयुक्त स्थानों पर सदस्यों द्वारा उत्पादित माल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना ताकि वे माल के तारण पर समिति से ऋण प्राप्त कर सकें।

(१६) समिति की संपत्तियों एवं तारण पर समिति से ऋण प्राप्त कर सकें।

उपविधि ३०

ऋण:—(१) निगम का अनुमोदन प्राप्त कर संचालक मण्डल ऋण एवं नगद साख की सीमा इसे प्रदाय एवं वसूल करने की प्रक्रिया, ब्याज दर एवं शर्तों को तय करेगा।

अधिकारी, (ए. के. ...)

(२) ऋण गैर सदस्यों को नहीं दिया जावेगा।

(३) ऋणी द्वारा चुकाये गये ऋण में से प्रथम शुल्क, दण्ड और अन्य चार्जेज तथा द्वितीय ब्याज में समायोजित किया जावेगा एवं तृतीय शेष रकम मूलधन में जमा की जावेगी।

(४) जब प्रतिभू की मृत्यु हो या सदस्यता समाप्त हो जाने पर मूल ऋणी वस्तुस्थिति से समिति को शीघ्र अवगत करायेगा और या तो ऋण अदा करेगा या नया अनुबन्ध करेगा, अन्यथा स्थिति में उसे ऋण जमा करने के लिये कहा जावेगा यदि ऋणी भुगतान न करें तो उसके ३ प्रतिशत वार्षिक दण्ड ब्याज, ऐसे ऋण को जमा करने के लिये दी गई अन्तिम तारीख से वसूल किया जावेगा और वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

(५) जब मूल ऋणी किसी भी अन्य एजेन्सियों से उसी प्रतिभूति या संपत्ति को बंधक रख ऋण प्राप्त करता है जिस पर उसने समिति से ऋण प्राप्त किया है, ऐसी स्थिति में उसे समिति से लिये गये ऋण को निर्धारित समय में जमा करना होगा, अन्यथा स्थिति में उपविधि क्रमांक ३० (४) के प्रावधानों के अनुसार दण्ड ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

(६) यदि ऋणी जिसे ऋण या नगद साख सुविधायें दी गई हैं, की सदस्यता उपविधियों में वर्णित किन्हीं कारणों से समाप्त हो जाती है, तो उसे संचालक मंडल द्वारा दी गई समयावधि में ऋण एवं ब्याज जमा करना होगा, भले ही जिस अवधि के लिए ऋण दिया गया हो वह समाप्त न हुई हो। ऋण जमा न करने की स्थिति में उससे ६ प्रतिशत दण्ड ब्याज वसूल किया जावेगा और रकम वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

(७) कार्यपालन अधिकारी समिति द्वारा दिये गये ऋणों पर सतत निगरानी रखेगा और वर्ष में कम से कम एक बार प्रतिभूतियों के सत्यापन करने की व्यवस्था करेगा।

उपविधि ३१

लाभ का विभाजन :—(१) समिति को वर्ष में हुए शुद्ध लाभ का विभाजन निम्नानुसार होगा:-

(१) रक्षित कोष --- --- २५ प्रतिशत

(२) म॰ प्र॰ सहकारी संघ मर्यादित को चन्दा। (नियमों के अनुसार)

(३) सदस्यों को अवहार --- ५ प्रतिशत

शेष शुद्ध लाभ को निम्नानुसार विभक्त किया जावेगा:-

(४) सदस्यों का लाभांश --- --- ६½ प्रतिशत तक

(५) संदिग्ध रक्षित कोष --- --- १० प्रतिशत

(६) अनापेक्षित हानि कोष --- --- ५ प्रतिशत

(७) सामान्य हित कोष --- --- ७½ प्रतिशत तक

(८) भवन कोष --- --- आयकरनियमानुसार

(९) घिसावट कोष --- --- आयकर नियमानुसार

कार्यपालन अधिकारी,
जिला ... सह. विकास
समिति ...

(19)

शेष शुद्ध लाभ का उपयोग निम्न कोष हेतु निर्माण किया जा सकेगा—

(१०) कृषि साख स्थायीकरण कोष, मूल्य उधार सहायक कोष।

(११) कर्मचारियों को बोनस।

(१२) अन्य कोष।

(२) अधिनियम की धारा ४४ एवं नियम ३१ में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कोषों को विनियो-
जित या जमा किया जावेगा।

उपविधि क्र.-३२

पंजीयक अधिनियम की धारा ६९ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए समिति को परिसमापन में ला सकेगा। और अधिनियम की धारा ७०, ७१ और ७२ तथा नियम ५७ एवं ५८ के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा।

उपविधि क्र०- ३३

उपविधियों में संशोधन तभी वैध होगा, यदि उसे उस आशय के लिए बुलाई गई साधारण सभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के २/३ बहुमत द्वारा संशोधनों का स्पष्ट उल्लेख कर पारित किया गया हो। संशोधन तभी प्रभावशील होगा, यदि उसे पंजीयक द्वारा अनुमोदित करा दिया गया हो।

उपविधि क्र.- ३४

विवाद— सदस्यों और समिति या उनके मध्य या अन्य पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होगा तो उसे पंजीयक को प्रेषित किया जावेगा और उसके द्वारा निर्णित किया जावेगा। उसके निर्णय अन्तिम होगा।

उपविधि क्र०- ३५

नकद धन की सुरक्षा— (१) समिति को किये जाने वाले सभी भुगतान, कार्यपालन अधिकारी को संबोधित कर किये जायेंगे।

(२) दैनिक कार्य उपरांत समिति की सिलक, समिति की लोहे की तिजोरी में दो ताले-चाबी व्यवस्था के अन्तर्गत रखी जावेगी, जिसकी एक चाबी कार्यपालन अधिकारी या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी के पास तथा दूसरी चाबी खजांची के पास रहेगी।

(३) किसी भी दिन संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित की गई सीमा से अधिक नगदी सिलक नहीं रखी जावेगी, और यदि अधिक हो जाती है तो उसे अगले कार्य दिवस को अधिकोष में जमाकर दिया जावेगा।

उपविधि क्र०-३६

(१) उपविधियों में उपयोग किये गये शब्दों या अभिव्यक्तियों की व्याख्या पंजीयक द्वारा की जावेगी और जो अन्तिम होगी।

(२) समिति का हिसाब किताब कार्यपालन अधिकारी द्वारा समुचित रूप से रखा जावेगा।

(३) निगम, समिति का परामर्शदात्री निकाय होगा और उसे निर्देशन एवं मार्गदर्शन देगा।

(एस. के. [illegible])
[illegible] सहकारी निरीक्षक
[illegible]

कार्यपालन अधिकारी,
[illegible]